(e) and (f) There is no such proposal.

Conservation and management of water resources

3529. SHRI SYED SIBTEY RAZI: Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have received representation for holding Nationwide debate on Conservation and proper management of water resources in the country;

(b) if so, what are the details thereof;

(c) whether Government propose to take some action in the matter; and

(d) if so, what are the details thereof and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA): (a) to (d) Several representations have been received for optimising the use of water and its scientific development through inter-basin linkages etc. Being aware of these suggestions, a number of meetings of Indian Water Resources Society have been organised in which the need to conserve water and ensure its proper management have been stressed. Further, two National Water Conventions have been held, where people from different disciplines discussed several aspects of water resources development and mangement. Another Convention is proposed to be held during February 1992 titled "Water Conservation". It has also been proposed to hold national level group discussions on improved irrigation water management and allied subjects.

गुजरात में सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण

3530. श्री **राम सिंह राठवा** : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा गुजरात में कौन-कौन सी सिंचाई परियोजनाएं/योजनाएं/जलाशय/बांध चालू किए गए हैं तथा किन-किन परियोजनाओं पर विचार किया जा रहा है;

(ख) ऊपर उल्लिखित उन परियोजनाओं के संबंध में, जिनका कार्य आरम्भ किया जा चुका है, प्रस्तावित निर्माण कार्य का समय-वार ब्यौरा क्या है ;

(ग) उन कार्यों का ब्यौरा क्या है जिनके बारे में विलम्ब हो रहा है ;

(घ) उसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) निर्माण-कार्य में देरी के कारण लागत में कितनी वृद्धि हो जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ङ) सूचना अनुपत्र में दी गई है । [**देखिए परिशिष्ट** 161, अनुपत्र **संख्या** 84]

रियायती दर पर खाद्यान्नों का वितरण

@3530. **श्री राघव जी**: क्या **खाद्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने लगभग चार वर्ष पूर्व एक केन्द्रीय योजना के अंतर्गत आदिवासी क्षेत्रों में रियायती दर पर खाद्यान्न वितरण के लिए 25 रुपए प्रति क्विंटल का अनुदान निर्धारित किया था ;

(ख) यदि हां, तो मध्य प्रदेश सरकार ने उपर्युक्त अनुदान राशि (मार्जिन मनी) में वृद्धि करने का अनुरोध किया है ; और

(ग) केन्द्रीय सरकार ने उपर्युक्त अनुरोध पर क्या कार्यवाही की है, यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई, तो उसके क्या कारण हैं ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गोगोई): (क) केन्द्रीय सरकार ने राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को सुझाव दिया है कि केन्द्रीय निर्गम मूल्य में जोड़े जाने वाले

@ पूर्वतः अतारांकित प्रश्न 3117, 19 दिसम्बर, 1991 से स्थानान्तरित ।